न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 131/2018

1 सुशीला देवी पत्नी नरेश कुमार जाति महाजन निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बसन्त कंवर पत्नी विरेन्द्र प्रताप सिंह।
2 सुजानसिंह पुत्र मगनसिंह।
3 हरपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 सुरेन्द्र कुमार पुत्र चन्द्र सिंह।
5 कमला देवी पत्नी रामनिवास।
6 ललीत कुमार पुत्र ताराचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 संदीप गाड़िया पुत्र विनोद गाड़िया जाति गाड़िया निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 मांगीलाल पुत्र मोहनलाला।
9 विशम्भरदयाल पुत्र मालीराम।
10 दयाराम पुत्र मालीराम।
11 महेश कुमार पुत्र हरिराम।
12 जुगल किशोर पुत्र हरिराम।
13 रामगोपाल पुत्र जमनलाल।
14 गोपीलाल पुत्र मोहनलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

15 बाबूलाल पुत्र भागीरथमल समस्त जाति महाजन निवासीगण टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
16 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 07.09.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
उनवानी मुकदमा सुशीला देवी बनाम बसन्त
कंवर आदि दावा बाबत बंटवारा मुकदमा नम्बर
32/2018

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2018 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 1874/409,1875/710 वाके ग्राम टोडी तहसील उदयपुरवाटी के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अदालत मातहत में ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1874/709 रकबा 0.0592 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1875/710 रकबा 0.0648 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1240 हैक्टेयर भूमि में से अपीलांट/वादिया का हिस्सा 188 वर्गमीटर का कब्जे काश्त के मुताबिक विधिवत विभाजन कर खाता व लगान अलग–अलग करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 16 को फरमाया जाने का निवेदन किया गया था। इस मामले में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 लगायत 15 के विरूद्व अदालत मातहत में एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 14 व 16 की कोई तामील नहीं हुई है। बिना तामील हुये ही दावा खारिज कर दिया जो विरूद्व कानून है। मामले में वादिया/अपीलांट की कोई सहादत नहीं ली गई है तथा न ही पत्रावली को साक्ष्य में रखा गया है वादिया/अपीलांट की बिना साक्ष्य लिये ही दावा खारिज कर दिया जो विरूद्व कानून एवं पत्रावली है। दिनांक 31.08.2018 से अदालत मातहत की ऑर्डरशीट में आया है कि वकील उभय पक्षकारान इस बात पर सहमत है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे इसके बावजूद भी अपीलांट/वादिया का दावा अदालत मातहत ने खारिज कर दिया। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रकियात्मक प्रावधानों की पालना नही की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1,3 लगायत 13,15 के विरूद्व दिनांक 23.03.2018 को बाद तामील एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश पारित किये गये है। इसी आदेशिका में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बिना किसी आवेदन, बिना किसी प्राथमिक डिक्री जारी किये, तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट चाही गई है एवं प्रतिवादी संख्या 14,16 की तलबी हेतु भी आदेशिका में अंकन किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण होने से पूर्व विभाजन के वाद में मौका रिपोर्ट मंगवाई जा सकें अथवा कोई अन्तिम प्रभावी आदेश पारित किया जा सकें। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर